4

विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका एवं कार्य

विक्रम कुमार*

प्रस्तुत लेख के द्वारा यह बताने की कोशिश की गई है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का उचित संचालन कैसे किया जाए एवं समिति का विद्यालय में होना कितना महत्वपूर्ण है। विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह विद्यालय के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने में एवं समाज का सहयोग प्राप्त करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय के सभी पक्षों को एक साथ जोड़े रखने में मदद करती है और सभी हितधारकों की भावनाओं के अनुरूप विद्यालय संचालन एवं विकास में भागीदारी प्रदान करती है।

भारतीय संविधान के 86 वें संशोधन के तहत लगभग आज़ादी के इतने सालों बाद शिक्षा के अधिकार को एक नया आयाम मिला और 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम — 2009 (आर. टी.ई.) लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत हर एक बच्चे को जो 6 –14 वर्ष का है उसे नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है।

इस अधिनियम के खंड 21 में एक ऐसी समिति को गठित करने का प्रस्ताव रखा गया जिसमें विद्यालय, अभिभावक और समाज की प्रत्यक्ष भागीदारी हो। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि इस समिति में माता-पिता, अभिभावक एवं शिक्षक, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, जन प्रतिनिधि आदि की भागीदारी भी हो। जिसे विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम दिया गया है।

विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन एक ऐसी सामाजिक संस्था के रूप में किया गया जो विद्यालय में विकास के साथ-साथ विद्यालय के लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में विद्यालय को निरंतर मार्गदर्शन दे। इसके साथ ही विद्यालय को एक लोकतांत्रिक एवं सामाजिक संस्था के रूप में प्रतिष्ठित करे।

विद्यालय प्रबंधन समिति की आवश्यकता निम्नलिखित कार्यों हेतु होती है —

- विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था व रखरखाव के लिए
- विद्यालय के वित्तीय नियोजन की देखरेख व नियंत्रण के लिए
- विद्यालय को समाज से जोड़कर रखने के लिए
- विद्यालय के विकास की योजना बनाने के लिए
- विद्यालय की आवश्यकताओं की माँग सही

* *स्कॉलर*, पी.एच.डी., जामिया मिल्लिया, इस्लामिया विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

पटल (सरकारी/स्थानीय निकाय) पर प्रस्तुत करने के लिए

- विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए

विद्यालय प्रबंधन समिति की स्थापना व रूपरेखा

शिक्षा का अधिकार अधिनियम— 2009 के खंड 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जिसमें विद्यालय समिति के सदस्यों की समिति सुझाई गई है। विद्यालय इसी आधार पर अपनी ज़रूरतों के अनुसार सदस्यों को शामिल करते हैं।

इस समिति का अध्यक्ष विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता इस समिति के सदस्य होते हैं। एक चयनित व मनोनीत प्रतिनिधि जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति हो। वह भी इस समिति का सदस्य होता है। स्थानीय विकास अधिकारी या प्रतिनिधि को भी सदस्य के रूप में शामिल करते हैं। विद्यालय के एक शिक्षक को शामिल किया जाता है जो समिति का संयोजक होता है। तीन ऐसे सदस्य होते हैं जो विद्यालय में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होते हैं और इन्हें आमंत्रित सदस्य कहा जाता है।

21. (1) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता-पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निवार्चित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेगा—

परंतु ऐसी समिति के कम-से-कम तीन चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक होंगे;

परंतु यह और कि अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों के माता-पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा;

परंतु यह भी कि ऐसी समिति के पचास प्रतिशत सदस्य स्त्रियाँ होंगी।

(2) विद्यालय प्रबंध समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् —

क. विद्यालय के कार्यकरण को मॉनीटर करना;

ख. विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफ़ारिश करना;

ग. समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनीटर करना; और

घ. ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएँ।

22. (1) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई विद्यालय विकास योजना, यथास्थापित, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और दिए जाने वाले अनुदानों का आधार होगी।

संदर्भ – *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 25)*।

विद्यालय यह ध्यान रखता है कि चुने गए कुल सदस्यों में 50 प्रतिशत महिलाएँ एवं 75 प्रतिशत विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक अवश्य हों।

विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष का होता है। दो वर्षों का कार्यकाल पूर्ण होने पर इस समिति का पुनर्गठन किया जाता है। समिति में उन अभिभावकों को भी शामिल किया जाता है जिनके बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हों। आर्थिक कमज़ोर वर्ग के अभिभावकों को भी समिति का सदस्य बनाया जाता है।

विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य

विभिन्न राज्यों के विद्यालय नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने अनुसार अपने विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य निर्धारण करते हैं। शोधार्थी द्वारा दिल्ली के कुछ (20 सरकारी विद्यालय) विद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया और हर विद्यालय से 5 विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का साक्षात्कार किया गया। जिसमें यह पाया गया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति के निम्नलिखित कार्य हैं—

- विद्यालय में काम सुचारू रूप से हो, इसमें सहयोग देना।
- अभिभावक व संरक्षक के साथ नियमित रूप से बैठक करना और बच्चों के बारे में उपयुक्त सूचना देना।
- विद्यालय के वातावरण को प्रभावी बनाना, जिससे अध्यापक एवं बच्चे नियमित रूप से सही समय पर विद्यालय में उपस्थित हो सकें।
- विद्यालय में आस-पास के सभी बच्चों का दाखिला और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों का निरीक्षण करना।
- विद्यालय में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन एवं पठन सामग्री की व्यवस्था एवं उसके सही प्रयोग में सहयोग करना।
- किसी भी तरह का अनुदान जो अन्य स्रोत से प्राप्त किया गया हो उसका सही उपयोग करना।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम खंड – 27 के अतिरिक्त अध्यापकों पर अन्य किसी गैर-शैक्षिक ज़िम्मेदारियों का भार न हो, उसका निरीक्षण एवं उसे सुनिश्चित करना।
- अनुसूची में दिए गए मानकों और मापदंडों के अनुकरण का निरीक्षण करना।
- बच्चों के अधिकारों के बारे में आस-पास के लोगों को आसान व रचनात्मक तरीके से बताना।
- इस बात का भी निरीक्षण करना कि दिव्यांग बच्चों को विद्यालय में नामांकन और दाखिला संबंधी सुविधा मिले और वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर सकें।
- विद्यालय विकास योजना समय पर तैयार करना और सुझाव देना।

विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकें

शोधार्थी द्वारा दिल्ली के कुछ विद्यालयों के सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि दिल्ली, शिक्षा निदेशालय ने स्कूल प्रबंधन समितियों की शक्तियों में वृद्धि के निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए हैं—

- विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकें माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को आयोजित होंगी।

यह भी कहा गया है कि विद्यालय अपनी सुविधा अनुसार बैठकों के दिन में परिवर्तन कर सकते हैं।

- विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकें विद्यालय समय से पहले या बाद में होंगी, ताकि शिक्षक कक्षा से अनुपस्थित न रहें। साथ ही वरिष्ठ शिक्षक को बैठक के संयोजक का भार सौंपा जाता है।
- विद्यालय प्रबंधन समिति के संयोजक या अध्यक्ष द्वारा टेलीफ़ोन माध्यम से ही बैठक शुरू होने के कम से कम 24 घंटे पूर्व अधिसूचित करना होगा, ताकि सही समय पर सदस्य बैठक में भाग ले सकें।
- बैठक के संचालन की ज़िम्मेदारी अध्यक्ष की है। यदि किसी कारणवश अध्यक्ष ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो उपाध्यक्ष भी बैठक बुला सकते हैं ताकि समिति का कोई काम न रूके।
- गैर-अनुसूचित बैठक का अनुरोध तभी किया जा सकता है जब 1/3 सदस्य लिखित रूप से अनुरोध देंगे और स्पष्ट विनिर्दिष्ट कार्यसूची हो। अध्यक्ष को अनुरोध के 7 दिनों के अंदर समिति को इस तरह की बैठक बुलाना होगी जिससे आपातकालीन परिस्थितियों से निपटना आसान हो सके।
- जिन विद्यालयों में दो शिफ़्ट चलती हैं प्रत्येक वैकल्पिक माह में उन विद्यालयों में बैठक सुबह एवं शाम को विद्यालय प्रबंधन समितियों की संयुक्त बैठक होगी। ताकि समन्वय सुनिश्चित किया जा सके और आपस में भवन से संबंधित किसी भी तरह की कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का दौरा

शिक्षा का अधिकार अधिनियम — 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय में हो रहे कार्यों की निगरानी की ज़िम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को दी गई है।

विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य विद्यालयी समय के दौरान विद्यालय का दौरा कर सकते हैं, पर इससे विद्यालय के काम (कक्षा, प्रार्थना-सभा, खेल का मैदान आदि) में किसी भी प्रकार की बाधा न हो। साथ में अगर कोई सदस्य विद्यालय आता है तो उसे विद्यालय प्रबंधन समिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होते हैं। विद्यालय प्रमुख को अपनी उपस्थिति के बारे में सूचित करना होता है।

छात्राओं के विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति की केवल महिला सदस्य ही दौरा कर सकती हैं। जबकि सह-शिक्षा वाले विद्यालय में महिला व पुरुष दोनों में से कोई भी विद्यालय का दौरा कर सकते हैं।

अभिलेखों का निरीक्षण एवं व्यय की जाँच

विद्यालय प्रबंधन समिति के किसी भी सदस्य द्वारा लिखित रूप में अनुरोध करने पर विद्यालय से संबंधित किसी भी अभिलेख के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही यह विद्यालय के प्रमुख की ज़िम्मेदारियाँ है कि वह अभिलेख देखने के अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि पर पावती दें तथा वह 3 दिन के अंदर अभिलेख (रिकॉर्ड) उपलब्ध करवाएँ। शिक्षा अधिकार द्वारा जारी किए गए इस कदम से सदस्यों के बीच में उनकी भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ की जागरुकता को बढ़ावा दिया

जा सकता है। साथ ही विद्यालय से संबंधित अन्य सभी समस्याओं का समय रहते समाधान भी किया जा सकता है।

विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक सहित विद्यालयों में किए गए सभी व्यय की रिपोर्ट विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में प्रस्तुत की जानी चाहिए। साथ ही विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक में विद्यालय के भवन व उनके अनुरक्षण में व्यय के बिल प्रस्तुत किए जाने चाहिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे व्यक्तिगत रूप से मरम्मत, अनुरक्षणों या खरीदी गई संपत्ति की जाँच कर सकते हैं। ताकि कार्यों एवं किये गए व्यय में पारदर्शिता बनी रहे एवं यह जाँच हो सके कि व्यय सही जगह व अनिवार्य कार्यों के लिए ही हुआ है।

विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा शिक्षण में भागीदारी

विद्यालय प्रबंधन समिति को सशक्त किया गया है कि वे उन बच्चों की पहचान करें जो अपनी उम्र के अनुकूल नहीं सीख पा रहे हैं।

विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय में शैक्षिक रूप से कमज़ोर बच्चों की मदद के लिए विद्यालय परिसर में विशेष प्रशिक्षण तथा उपचारी शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। इसका प्रावधान आर.टी.ई. 2009 में किया गया है।

विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को हटाना

विगत कुछ वर्षों में बहुत सारे शैक्षिक अनुसंधानों से यह बात निकल कर आई है कि समिति में कुछ एक सदस्यों की बैठक में अनुपस्थिति विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यों में बाधाएँ डालती हैं। दिल्ली सरकार ने अपने निर्देशों में समिति के उन सदस्यों को हटाने का भी प्रावधान रखा है जो विद्यालय प्रबंधन समिति में अनुपस्थित रहते हैं।

विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से 50 प्रतिशत सदस्यों की सहमति से समिति के सदस्यों को हटाया/बदला जा सकता है। साथ ही अगर विद्यालय प्रबंधन समिति का उपाध्यक्ष लगातार तीन विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक में अनुपस्थित रहते हैं, तो विद्यालय प्रबंधन समिति के 2/3 सदस्यों का प्रस्ताव पास कर उन्हें विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है।

विद्यालय प्रबंधन समिति को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव

शोधार्थी द्वारा यह पाया गया की विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन विद्यालय के विकास के साथ-साथ सामाजिक परीक्षण, लोक भागीदारी एवं लोक सशक्तीकरण के लिए प्रभावी कदम है तथा इस भागीदारी को और सशक्त करने के लिए कुछ ठोस कदम और उठाए जा सकते हैं जैसे —

- सभी सदस्यों को अपनी भूमिका और ज़िम्मेदारियों की पूरी जानकारी हो।
- घर में बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल, अच्छा विद्यालय बनाना, अच्छा कक्षा कक्ष बनाना एवं बच्चों के लिए एक अच्छा समुदाय बनाना ही विद्यालय प्रबंधन समिति का लक्ष्य होना चाहिए।
- उन चीज़ों पर ध्यान देना जैसे — विद्यालय में क्या है जो बहुत अच्छी नहीं है? ऐसा क्या है जो

विद्यालय अच्छा नहीं कर रहा? या हमें किसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है? अथवा हम किन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं? हम अच्छी तरह क्या कर सकते हैं।

- आवश्यकताओं की प्राथमिकता निश्चित करना एवं उद्देश्य निर्धारित करना।
- कार्य योजना का निर्माण करना जिसमें कौन से काम कैसे, कब और किन-किन संसाधनों द्वारा पूर्ण किये जाएँ, शामिल होने चाहिए।
- सदस्यों की पूर्ण भागीदारी तथा उनकी सहमति प्राप्त करना। इसमें समिति द्वारा बनाई गई योजनाओं को लोगों से साझा करना एवं लोगों को परिश्रम के लिए उत्साहित करना शामिल है।
- किसी भी कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करना एवं कार्य योजना का अनुवीक्षण करना और जब आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाना।
- कार्य प्रगति के बारे में रिपोर्ट करना और असफलता पाने पर उत्सव मनाना जिससे सदस्यों में प्रोत्साहन एवं कार्यों को पूरा करने का उत्साह बना रहे।

संदर्भ

एस्टईन-ज्वाईस. 2001. *स्कूल फ़ैमिली एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप प्रिपेयरिंग एडूकेटर्स एंड इम्प्रूविंग स्कूल्स*. वेस्ट व्यू प्रेस, कॉलराडो.

कुमार, विक्रम. 2013. *ए स्टडी ऑफ़ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कन्स्टीट्यटेड अंडर आर.टी.ई. अधिनियम – 2009*. जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली.

दिल्ली नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम – 2009 कानून. प्रपत्र सं. 520–533.

भारत सरकार. *नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम* – 2009. भारत सरकार, नयी दिल्ली.